

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲੋ. 1426] No. 1426] नई दिल्ली, बृहस्परिवार, जुलाई 15, 2010/आषाढ़ 24, 1932 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2010/ASADHA 24, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2010

का.आ. 1679(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, तारीख 21 जुलाई, 2009 में प्रकाशित भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1800 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "20-7-2010" अंकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं "20-08-2010" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/5/2001-सी एल-V] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्प्पा: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1800 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2009 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का. आ. 913(अ), तारीख 22-4-2010 द्वारा किया गया।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2010

S.O. 1679(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 21st July, 2009 vide number S. O. 1800 (E) dated the 21st July, 2009, namely:—

In the said notification for the figures "20-7-2010" wherever they occur, the figures "20-08-2010" shall be substituted.

[F. No. 1/5/2001-CL-V] RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S. O. 1800 (E), dated 21st July, 2009 and last amended vide number S. O. 913 (E), dated 22nd April, 2010.